

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27-3(3)पदो/अभि/23/

जयपुर,दिनांक:

आदेश

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभा पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-11) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक	वि.वि.
01.	श्री नरेश रायकवाल पुत्र श्री शंकर लाल	S.C.	01.04.2023	UR के विरुद्ध चयनित
02.	श्री अजय कुमार पुत्र श्री देवीलाल	S.C.	01.08.2023	UR के विरुद्ध चयनित
03.	श्री दिग्पाल सिंह पुत्र श्री मानसिंह	UR	27.02.2024	—

उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है किन्तु पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. संबंधित अधिकारी.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष।
06. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAVI SHARMA
<sharma.ravirhjs@gmail.com>.

Digitally Signed by RAVI
SHARMA

Designation: Director

Date :22-08-2024 03:53:58